"विद्यावती देवी सेवा न्यास लखनऊ द्वारा संचालित"

विद्यावती देवी महाविद्यालय

वैष्णवी नगर (झरही) तमकुहीराज, जनपद - कुशीनगर (उ.प्र.)

N.H. . 28, हाइवे पर, तमकुहीराज तहसील गेट से 1 कि.मी. पश्चिम-उत्तर

(दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध)

प्रवेश विवरणिका

एवं मार्गदर्शिका

प्रबन्धक

बी. राय

9415752158

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

Office Contact : 9792200919

vidyawati.devi.pg.college@gmail.com

Website : www.vidyawatidevimahavidyalay.com

E-mail : info@vidyawatidevimahavidyalay.com

9792200919

Contact No. : 9792200918

9792200933

स्मृति में –

स्व. श्रीमती सुरजा देवी

ट्रस्टी–

श्रीमती विद्यावती देवी

ट्रस्टी–

श्री किशोर राय

विद्यावती देवी महाविद्यालय
एक दृष्टि में

विद्यावती देवी महाविद्यालय **"विद्यावती देवी सेवा न्यास लखनऊ"** द्वारा संचालित एवं दी.द.उ गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध वैष्णवी नगर (झरही), तहसील तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में दिनांक 01 जुलाई 2015 से संचालित हो रहा है।

इस महाविद्यलाय के स्थापना के पीछे ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्द्धन एवं सम्बर्द्धन का ध्येय है। आज के परिवेश में यह महाविद्यालय ग्रामीणों का चतुर्दिक विकास करेगा तथा क्षेत्र के युवको एवं युवतियों में शैक्षणिक, नैतिक वौद्यिक मूल्यपूरक एवं उत्तम संस्कारों को बढ़ावा देगा।

इस विद्यालय की संकल्पना दुबौली के डी.के.राय. के मानस पटल में वर्षो से संकल्पित था। अन्ततः यह संकल्पना वैष्ण्वी नगर (भरपटिया) झरही की धरती पर निजी श्रोतों से वगैर सरकारी गैर सहायता के साकार हुई।

यह महाविद्यालय महात्मा गौतम बुद्ध के निर्वाणास्थली कुशीनगर के समीप उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है। स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग (बी.एस.सी.) के अर्न्तगत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित के अलावा वाणिज्य संकाय (बी.काम) व कला संकाय के अन्तर्गत विषय–हिन्दी संस्कृत राजनीतिशास्त्र, शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं गृह विज्ञान की सम्बद्धता प्राप्त हुई है।

अपनी बात

इस महाविद्यालय में सुयोग्य शिक्षकों द्वारा विषयों के अध्यापन के साथ छात्र-छात्राओं के अन्दर समाज सेवा के प्रति उत्साह, शारीरिक श्रम का भव, राष्ट्रीय कार्यो के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम, समय-समय पर शैक्षणिक पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यो के प्रति अनुराग एवं स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करना है शारीरिक सौष्ठव एवं बलिष्ठता हेतु समय-सयम पर खेल कूद एंव योगादि क्रिया कलापों का भी आयोजन किया जायेगा।

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य सामाजिक-अर्थिक चुनौतियों से संघर्ष एवं समाधान के लिए मानसिक स्तर पर तैयार किया जायेगा।

प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय एक अन्तराष्ट्रीय विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित होगी। इन संगोष्ठियों से छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के बौद्धिक स्तर का विकास होगा।

विशेषज्ञों द्वारा उच्च स्तरीय व्याख्यान भी अयोजित किये जायेंगें। संगोष्ठियों का लक्ष्य छात्र-छात्राओं में समाज के प्रति साकारात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना होगा। प्रतिवर्ष महाविद्यालय में एक उच्च स्तरीय पत्रिका का प्रकाशन होगा जिसमें छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं रचनाधर्मियों के आलेख प्रकाशित होंगे। महाविद्यालय भारतीय मान्यताओं संस्कारों, राष्ट्रीय गौरव एवं स्थानीय कलाओं के विकास के लिए कृत संकल्पित है। यह संस्था छात्र-छात्राओं के सांस्कृतिक क्षमता के प्रस्फुटन एवं परिवर्द्धन हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी।

महाविद्यालय के पास एक भव्य सुन्दर भवन, पुस्तकों से समृद्ध पुस्तकालय, विशाल क्रीड़ा परिसर के साथ एक वाचनालय भी पत्र-पत्रिकाओं से सुसज्जित है। यह संस्था प्रतियोगी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था हेतु एक अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी। जिससे समय-समय पर छात्र-छात्राओं की कठिनाईयों का समाधान हो सकेगा। संस्था में एक नियंता मण्डल होगा जो महाविद्यालय के अनुशासनिक व्यवस्थाओं को सुनियोजित करेगा। आने वाले दिनों में इस संस्था में स्नातकोत्तर एवं विज्ञान की कक्षायें भी संचालित करने का प्रयास होगा। आशा है छात्र-छात्रायें एवं शिक्षक इस उच्च शिक्षा के केन्द्र को एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो क्षेत्र-प्रांत-देश एवं विश्व में अपनी आलोकमयी किरणों से प्रकाश बिखेरेगा।

प्रबन्धक - वी.राय

विद्यावती देवी महाविद्यालय

विद्या ददाति विनयम्

मेरे कलम से

संविधान में शिक्षा को भले ही हमारा मौलिक अधिकार माना गया है लेकिन धरातल पर बेहतर शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते देश की अधिसंख्य आबादी आज भी अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित है। समूची दुनिया के सभी विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा का बड़ा महत्त्व है लेकिन ऐसी कोई नीति नही बनाई जाती है जिसमे शिक्षकों का मनोबल सदैव ऊंचा बना रहे। जब तक अनुभव, ज्ञान और कौशल को महत्त्व नही नही दिया जायेगा तब तक शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नही हो सकती। शिक्षा महज परीक्षा पास करने या नौकरी/ रोजगार पाने का साधन नही है। शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, अंतर्निहित क्षमताओं के विकास करने और स्वस्थ जीवन निर्माण के लिए भी जरूरी है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे को श्रेष्ठ इंसान बनने की ओर प्रवृत्त करे तभी वह सार्थक सिद्ध हो सकती है। कहा भी गया है " सा विद्या या विमुक्ते '' वर्तमान परिवेश में सरल एवं सस्ती उच्च शिक्षा नही मिलने के कारण शैक्षिक पद्दति की असफलता सिद्ध करती है। अतः यह जरूरी है की शिक्षा के उद्देश्यों को सामयिक रूप से परिभाषित कर पुनरीक्षित किया जाय ।

ऐसे में तमकुहीराज जैसे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति समपर्ण के भाव से अलख जगाने का कार्य करते हुये विद्यावती देवी महाविद्यालय उन छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य के निर्माण में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहा है जो उन्नति के उच्च शिखर पर जाना चाहते है लेकिन गरीबी एव लाचारी के चलते उनके सपने सफल नही हो पाते थे । प्रदेश में जितनी भी सरकारे आयी और गयी लेकिन यह क्षेत्र आज भी गन्ना गंडक और गरीबी जैसी मुख्य समस्या से जूझ रहा है । जिस क्षेत्र में आज भी भूख से मौते हो रही हो वहां उच्च शिक्षा की कल्पना करना बेईमानी होगी लेकिन इन सभी समस्याओं को दरकिनार करके विद्यावती देवी महाविद्यालय उन छात्र छत्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते है। 2015 में शिक्षा की शुरुआत करते हुये एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ और उन छात्र छात्राओं के प्रवृत्ति पर विराम लग गया जो इंटर पास करने के बाद घर बैठ जाते थे । तमकुहीराज तहसील मुख्यालय से मात्र 2 किमी पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राज्यमार्ग के किनारे झरही नदी के बगल में स्थित विद्यावती देवी महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मनयोग से छटा बिखेर रहा है । महाविद्यालय के संस्थापक/ प्रबंधक माननीय बी राय जी ने एक तपस्वी की भांति पूरी ऊर्जा को खपा एव खून पसीने को एक करके जो दुरूह कार्य किया है वह आने वाले समय मे इतिहास के पन्नो पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा। क्षेत्र में महाविद्यालय तो कई खुले लेकिन उसमे विद्यावती देवी महाविद्यालय ने एक नया आयाम स्थापित किया है । दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से सम्बद्ध एव विद्यावती देवी सेवा न्यास लखनऊ द्वारा संचालित इस महाविद्यालय में बी०ए० , बी०एस०सी, बी.काम. की एक साथ सस्ता एव सुलभ शिक्षा दी जाती है । यह कालेज उनके लिए वरदान साबित हो रहा है जो विज्ञान वर्ग एव बी०काम० की पढ़ाई के लिए बाहर जाने में सक्षम नही है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिकरण से अपने आप को किनारा करते हुये विद्यावती देवी महाविद्यालय जल्द ही हर जरूरतमंद को बी०एड०, एम०ए०, एम०काम०, एम०एस०सी० की शिक्षा देकर हिदुंस्तान को समृद्ध और शिक्षित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान का व्रत लिया है जिसमे क्षेत्र की जनता का सहयोग अपेक्षित है ।

सादर

रमेश चन्द्र यादव
उपाध्यक्ष/प्रबन्धक कमेटी
विद्यावती देवी महाविद्यालय
वैष्णवी नगर झरही तमकुहीराज, कुशीनगर
सम्पर्क सूत्र – 9792200933

पूर्व जिलाधिकारी श्री शम्भू कुमार जी

आवश्यक सामान्य सूचना

1. अभ्यार्थियों को चाहिए कि वो इस विवरणिका को पढ़कर सभी नियमों से अवगत हो जाएं और तदनुसार ही प्रवेश आवदेन पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लिखित नियमों का परिपालन आवश्यक होगा।

2. बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा अर्थात इण्टर की स्थायी अंक–पत्र ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थायी अंक पत्र नहीं।

3. सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के कार्यालय काउन्टर पर जमा किये जाएगें अधिकृत व्यक्ति जो महाविद्यालय से सम्बन्धित हो उसे शुल्क दें।

4. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं द्वारा जमा किया गया किसी भी तरह का शुल्क वापस नहीं होगा।

5. महाविद्यालय में किसी भी उपकरण की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का देय सम्बन्धित छात्र–छात्राओं की होगी।

6. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवदेन पत्र विवरणिका सहित कार्यालय से 150/–एक सौ पचास रूपये नगद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। बाहर से अथवा किसी दूसरे से खरीदे आवदेन पत्रों में त्रुटि की सम्भावना है वह निरस्त (रद्द) हो सकते है।

7. महाविद्यालय परिसर में संस्थागत विद्यार्थियों के अलावा बिना उचित कारणों के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। ऐसी किसी अतिरिक्त असम्बद्ध अथवा बाह्य व्यक्तियों क विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये नियमों एवं विधि में किसी प्रकार के परिर्वतन तथा नये नियम व विधि लागू करने का अधिकार प्रबन्धक/प्राचार्य के पास सुरक्षित है जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

पाठ्य विषय

यह महाविद्यालय दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सम्बद्धता में निम्नलिखित परीक्षाओं और उपाधियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है।

(क) स्नातक स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिसके लिए निम्नलिखित विषयों में से किन्ही तीन विषयों का बी0ए0 प्रथम वर्ष में चयन किया जाए परन्तु एक वर्ग से केवल एक ही विषय चुना जा सकता है।

1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. राजनीति शास्त्र 4. शिक्षा शास्त्र
5. समाज शास्त्र 6. मध्यकालिन इतिहास 7. गृह विज्ञान

(ख) स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी.काम पाठ्यक्रम

(ग) स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) के विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित।

विशेष :

यदि किसी छात्र ने हाईस्कूल अथवा इण्टर परीक्षा में पाठ्य विषय के रूप में उच्च हिन्दी नहीं लिया है तो उसका सामान्य हिन्दी लेना होगा। किन्तु वे छात्र इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे जो बी0ए0 प्रथम वर्ष में उक्त वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी का चयन करेंगें।

समय सारिणी

समय सारिणी के अन्तर्गत 9.00 बजे से 4.00 बजे के बीच भी विषय को पढ़ाया जा सकता है। घोषित पीरियड/टाईम टेबल में भी आवश्यक होने पर सत्र के अन्दर किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र

पूर्व विद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी) मूल प्रति अथवा उत्तर प्रदेश के बोर्ड या विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थीयों को माइग्रेशन प्रमाण पत्र महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके अभाव में उनका नाम महाविद्यालय पंजीयन से काट दिया जायेगा।

प्रवेश शुल्क

शासनदेश संख्या 2051/सत्तर–2–2003 –16 (92) 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 के अनुसार

परीक्षा शुल्क

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्धारित शुल्क।

टिप्पणी : आवश्यकता पड़ने पर शुल्क तालिका में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रवेशार्थियों को निर्धारित छात्र संख्या (उपलब्ध सीटों) के अन्दर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
2. महाविद्यालय बिना कारण बताये किसी भी प्रार्थी के प्रवेश की मांग निरस्त कर सकता है। चाहे वह प्रवेश के लिए हर प्रकार से योग्य क्यों न हो।
3. प्रथमत : कालेज में सभी प्रार्थीयों का प्रवेश अस्थायी होगा प्रवेश की तिथि से चार माह के अन्दर कभी भी निरस्त किया जा सकेगा। कोई भी संस्थागत छात्र/छात्रा सम्बन्धित सत्र का 30 जून तक ही बोनाफाईड विद्यार्थी माना जायेगा।
4. बी0ए0 /बी0काम0/बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वे अभ्यार्थी ही आवदेन करें जिन्होने वर्तमान सत्र अथवा एक सत्र पूर्व
   में इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण की हो किन्तु एक सत्र पूर्व में इण्टर उत्तीर्ण प्रार्थी को प्रवेश हेतु चुन लिये जाने पर शपथ पत्र (एफीडेविट) देना होगा कि उसने पूर्व में कही प्रवेश नहीं लिया था। इण्टर परीक्षा की स्थायी मार्कशीट ही मान्य होगी। प्रतिबन्धित अथवा अस्थाई मार्कशीट नहीं।
5. सूचना पट्ट से प्रवेश सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा। प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम सर्वमान्य होगा।
6. प्रवेश के उपरान्त किसी भी समय ज्ञात होने पर कि अभ्यार्थी द्वारा कोई असत्य अथवा अशुद्ध विवरण देकर अथवा सत्य को छिपाकर दिया था अथवा उसके द्वारा उसकी ओर से प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का अनुचित कार्य करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही की गयी हो तो उसका नाम बोनाफाइड पंजिका से काट दिया जायेगा।
7. वह छात्र जो अनुचित साधन के प्रयोग में दण्डित हुआ अथवा विशविद्यालय में उनका नाम काली सूची में है अथवा उस पर किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा विचाराधीन है अथवा जिनका गत वर्ष पवेश आवेदन–पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत निररस्त कर दिया गया है। उनका भी प्रवेश नहीं हो सकेगा यदि वास्तविकता को छिपाकर छात्र प्रवेश ले लिया है और प्रशासन के संज्ञान में वास्तविकता आ गया है। तो ऐसे छात्र का भी प्रवेश निस्तर कर दिया जायेगा।
8. कोई भी छात्र किसी एक कक्षा में एक वर्ष (सत्र) तक ही संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन कर सकता है। किसी भी समय असत्य विवरण देन पर अमर्यादित व्यवहार करने पर छात्र को महाविद्यालय से निष्काषित किया जा सकता है।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रवेश में आरक्षण उ.प्र. शासन/दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के नियमानुसार लागू होगा।
10. प्रवेश आवदेन पत्र के नाम निम्नांकित प्रपत्रों को अवश्य संलग्न किया जाये।
    (अ) हाई स्कूल अंकतालिका एवं सनद् की सत्यापित छायाप्रतियां
    (ब) इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं सनद् की सत्यापित छायाप्रतियां
    (स) आचरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो छ : माह से अधिक का न हो।
    (द) अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र होने पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति
    (य) अन्तिम संख्या का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र अथवा माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति
    (र) आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट आकार का एक फोटो आवदेन पत्र के साथ नत्थी किया जाना चाहिए।

नोट : उक्त नियमों से परिवर्तन करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

पंजिका से नाम काटना

1. यदि शुल्क (शिक्षण प्रयोगशाला अथवा अन्य किसी प्रकार का) या किसी प्रकार का छात्र/छात्रा से प्राप्त होने वाला कोई अर्थदण्ड निश्चित देय तिथि के पश्चात दो महीने के भीतर छात्र/छात्रा द्वारा जमा नहीं करा दिया जाता है। तो उसका नाम छात्र पंजिका से काट दिया जायगा
2. कटे नामों की सूची सूचना पट्ट पर विज्ञापित कर दी जायेगी। इस प्रकार के छात्र/छात्राओं को नाम काटने की तिथि से कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। नाम काटने के पश्चात से उसे उपस्थिति नहीं मिलेगी। और इस प्रकार के छात्र/छात्रा को यदि किसी प्राध्यापक द्वारा उपसिथति दी भी जाती है। तो उससे उसकी उपसिथति नहीं मानी जायेगी। यदिसत्र के मध्य में छात्र/छात्राओं पढ़ाई बन्द करना चाहे तो लिखित रूप से प्राचार्य तथा लेखा विभाग को सूचित कर देना चाहिए

   ताकि उसके नाम पर शुल्क पढ़ाई छोड़ने के बाद की अवधि केलिए न बढ़ाई जाए।
3. यदि सूचना पट्ट का नाम काटने की सूचना अंकित होने के दो महिने के भीतर छात्र/छात्रा अपना समस्त अवशिष्ट सहित जमा कर देता है तो उसका नाम पंजिका में पुन: लिख दिया जायेगा।
4. यदि छात्र/छात्रा का नाम पंजिका से कट जाता है तो उसका पुन : प्रवेश इस शर्त पर हो सकता है कि वह नाम कटे रहने की अवधि का भी शुल्क जमा कर दें। ऐसी स्थिति में उसे दो सौ रूपया पुन : प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा।
5. कोई छात्र/छात्राओं जिसका नाम शुल्क भुगतान न करने के कारण पंजिका से कट चुका है शुल्क भुगतान करके पुन : नाम लिखा लेने पर उस अवधि की उपस्थिति का दावा कर सकता/सकती है, जिस अवधि में उसका नाम कटा हुआ था।

उपस्थिति

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धी नियम कालेज अक्षरश: कार्यान्वित करता है किसी भी विद्यार्थी को नियमित छात्र के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तभी दी जायेगी जब उसका दिये हुए व्याख्यानों के बीच उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत रहेगी। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने प्रति पाल्यों की कालेज में उपस्थिति का ध्यान रखें।

अध्यापक अपनी व्याख्यान पंजिकाओं में उपस्थिति का ब्योरा रखते है विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विषय के प्राध्यापकों से समय–समय पर अपनी उपस्थिति की स्थिति जानने के लिए सम्पर्क करते रहें।

भुगतान की रसीद

प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके द्वारा महाविद्यालय में जमा की गयी प्रत्येक धनराशि के लिए रसीद दी जायेगी। रसीद को सावधानी के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। प्रसंगवश उसकी रसीद किसी भी समय मांगी जा सकती है। प्रत्येक छात्र/छात्रा का लेजर नम्बर रसीद पर अंकित होता है। रसीद लेते समय छात्रों का उत्तरदायित्व होगा कि वह देख लें कि सही लेजर नम्बर अंकित है या नहीं।

नोट :– महाविद्यालय में जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।।

महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा
वृक्षारोपण

महाविद्यालय के वरिष्ठ छात्र छात्राओं का विदाई समारोह

गणतन्त्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियाँ

महाविद्यालय में आए सम्मानित अतिथिगण

परिचय-पत्र

1. महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है।
2. बी0ए0/बी0काम0/बी0एस0सी प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राओं को प्रवेश तिथि को ही निर्यता
   कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र भरकर और तीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा कर अपना नाम पंजीकृत करना लेना चाहिए और परिचय पत्र तैयार हो जाने पर उसे कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिए।
3. प्रत्येक परिवर्तित पते की सूचना तत्काल नियन्ता कार्यालय में दी जानी चाहिए।
4. परिचय पत्र के बिना महाविद्यालय प्रांगण मे प्रवेश वर्जित है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को सैदव अपना परिचय पत्र साथ लाना होगा।
5. परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में महाविद्यालय कार्यालय में रू. 50.00 जमा करने पर दूसरा परिचय पत्र बन सकेगा।
6. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय का कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं प्राप्त कर सकेगा।

प्रमाण पत्रों के लिए आवदेन पत्र

किसी भी प्रयोजन के निमित्ति महाविद्यालय से प्रमाण पत्र चाहने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि जिस तिथि को उन्हं प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो उसे तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करें। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए 50 /– शुल्क के रूप में देय है। चरित्र प्रमाण पत्र एवं बोनाफाइड प्रमाण पत्र हेतु द्वितीय प्रतिलिप प्राप्त करने के लिए रू0 50/– शुल्क लेखा विभाग में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना में सम्मिलित होने की इच्छा रखने वाले छात्र/छात्रा कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के उनके कार्यालय में सम्पर्क करें। छात्र/छात्राओं को दो वर्ष की अविच्छिन्न सदस्यता अवधि पूरी करने पर नियमानुसार प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

साईकिल स्टैण्ड

सभी विद्यार्थी अपनी साईकिल स्टैण्ड में ही रखेंगे। साईकिल स्टैण्ड की व्यवस्था हेतु प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रति वर्ष रू0 150/– जमा करेंगें। साईकिल रखने की व्यवस्था अध्यापन कार्य आरम्भ होने की तिथि से ही की जायेगीं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी साईकिल में सुरक्षित एवं मजबूत तालें लगायें और उन्हें सावधानी से बन्द करें।

शुल्क वापसी

किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिया गया शुल्क न तो सामायोजित होगा और न ही वापस होगा। इस शुल्क की वापसी तभी हो सकती है जब या तो महाविद्यालय प्रवेश देना अस्वीकार कर दें अथवा पाठ्यक्रम प्रवेश देना अस्वीकार कर दें। अथवा पाठ्यक्रम में शिक्षण व्यवस्था जारी रखने में महाविद्यालय असमर्थ हो। यह नियम प्रत्येक दशा में लागू होगा और इस बात का कोई प्रभाव नही पड़ेगा कि छात्र/छात्रा शुल्क देने के पश्चात कक्षा में उपस्थित है या नहीं है।

नामांकन

बी0ए0 स्नातक की प्रथम वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय नामाकन पत्र भरना आवश्यक होगा जिसके लिए समयानुसार सूचना दी जायेगी। कोई भी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना नामांकन नहीं करा लेगा, विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेगा।

विषय परिवर्तन

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपना विषय सावधानी से चुनें। नियमत : एक बार चुने गये विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में उचित कारण प्रस्तुत करने पर प्रवेश समिति की संस्तुति पर लेखा विभाग में रू0 100.00 जमा करने के पश्चात प्राचार्य द्वारा विषय परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु इस आशय का प्रार्थना पत्र 31 अक्टूबर तक कार्यालय में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। उक्त तिथि के बाद इस प्रकार के किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

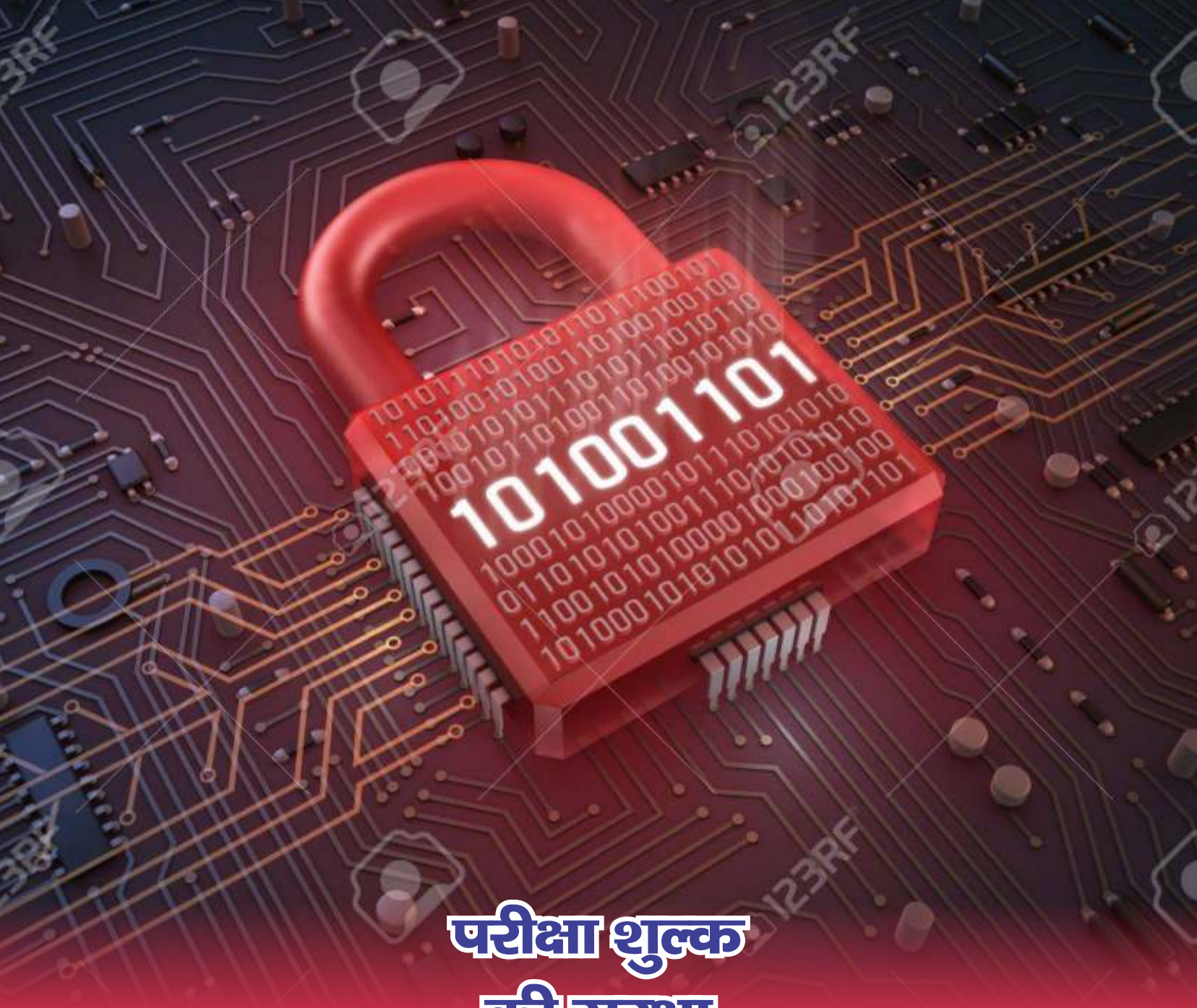

परीक्षा शुल्क की सुरक्षा

कोई अभ्यार्थी जो बीमारी अथवा किसी अन्य कारणवंश परीक्षा देने में असमर्थ है, अपना परीक्षा शुल्क वापस लेने का अधिकारी नहीं होगा। फिर भी संतोषजनक कारण को देखते हुए कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर बिना कोई शुल्क दिये उसे आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को अपना आवेदन कुलपति के पास इस प्रकार अवश्य भेज देना चाहिये कि वह कुलपति कार्यालय को परीक्षा के आरम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त हो जाये। साथ में बीमारी से सम्बन्धित समस्त कागजात एंव किसी योग्य चिकित्सक का प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए तथा जिस प्राधिकारी ने परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसरित किया हो उसके माध्यम से शुल्क सुरक्षा का आवेदन–पत्र कुलपति को भेजा जायें

नियन्ता समिति एवं अनुशासन व्यवस्था

1. महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा की गतिविधि पर निगरानी रखने और अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियन्ता समिति या प्राक्टोरियल बोर्ड गठित है।
2. नियन्ता समिति द्वारा दी गई सूचनाओं और निर्देशों का पालन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हैं।
3. महाविद्यालय के अनुशासिक नियम निम्नलिखित है।
   (क) महाविद्यालय में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शान्तिपूर्वक सुलझाई न जा सके।
   (ख) महाविद्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
   (ग) महाविद्यालय में किसी छात्र/छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
   (घ) जब कक्षायें चल रही हो तो बरामदें में शान्ति बनाये रखें।
   (ड) छात्राओं के कामन रूम के पास न खड़े हो।
   (च) अपना परिचय पत्र सैदव अपने साथ रखें। जिसके अभाव में दण्डित हो सकते है
   (छ) अपनी साईकिल/मोटरसाइकिल महाविद्यालय के स्टैण्ड में ही रखें
   (ज) महाविद्यालय के भवन एवं सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाये। दीवालों और फर्नीचर को गन्दा न करें। परिसर में पान पराग, तम्बाकू सिगरेट या किसी भी मादक पदार्थ का प्रयोग वर्जित है।
   (झ) अपनी समय सारणी के अनुसार ही महाविद्यालय आये। अन्य समय आकरण महाविद्यालय परिसर में प्रवेश और उपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जायेगा।
   (ब) किसी कार्य के लिए स्वयं सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी से मिलें। किसी भी प्रकार की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें।
   (ट) अपने साथ महाविद्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति को न लायें।
   (ठ) महाविद्यालय की गरिमा के अनुकूल शिष्ट भाषा, शालीन आचरण और सामान्य व अनुत्तेजक परिधान ही अपनायें।
   (ड) महाविद्यालय के अन्दर या बाहर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके महाविद्यालय का नाम कलंकित हो।

4. किसी छात्र/छात्रा द्वारा किये गये दुर्व्यवहार,अपराध या अनुशासहीनता की प्रकषति एवं गुरूता के अनुरूप उसे निम्न प्रकार दण्डित किया जायेगा।

(क) चेतावनी
(ख) अर्थदण्ड
(ग) वित्तिय एवं अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना
(घ) निलम्बन (संस्पेंशन)
(ड़) चरित्र प्रमाण पत्र का न दिया जाना या निरस्तीकरण
(च) निष्कासन (एक्सपल्शन)
(छ) निस्सारण (रिस्टीकेशन)

विशेष : उपरोक्त वर्णित में से एक या एक से अधिक प्रकार का दण्ड आवश्यकतानुसार दिया जा सकेगा तथ दण्ड में किसी निर्धारित क्रम में पालन की बाध्यता नहीं होगी।

विद्यावती देवी
महाविद्यालय

समाज कल्याण छात्रवृति

महाविद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु आवदेन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त होंगें। आवदेन पत्र में दी गयी प्रविष्टियों की पुष्टि हेतु वांक्षित प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा जारी किया गया मान्य होगा। छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्र/छात्रा को 31 अगस्त तक आवेदन पूर्ण कर के कार्यालय में जमा कर देना होगा। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रवेश तिथि से मार्च तक दिया जायेगा। उक्त छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी। जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत होगीं 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होगें। उक्त छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण संचालक समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

पुस्तकालीय व्यवस्था

महाविद्यालय में नामांकित प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करके पुस्तकालय का सदस्य बना जा सकता है। केवल सदस्य ही नियमानुसार पुस्ताकलय में पुस्तक प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं अभ्यार्थी को पूर्ण करनी होगी। पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण किये प्रत्येक छात्र/छात्रा को दो कार्ड दिये जायेगें।

पुस्कालय से पुस्तकों को प्राप्ति निर्धारित पुस्ताकलय कार्ड पर दी जाती है। एक कार्ड पर केवल एक पुस्तक ही निर्गत किया जायेगा। निर्गत पुस्तक 15 दिनों के अन्दर पुस्तकालय में जमा करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में आर्थिक दण्ड लिया जा सकता है। पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर कार्यालय में रू0 25/– जमा करके दूसरा कार्ड प्राप्त हो सकेगा। प्रत्येक विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है तथा वाचनालय में विभिन्न प्रकार के समाचार–पत्र पत्रिकाओं आदि की समुचित व्यवस्था है। पुस्तकालय सम्बन्धी विशेष विवरण पुस्तकालय से प्राप्त किया जा सकता है।

अत्याधुनिक प्रैक्टिकल लैब

वनस्पति विज्ञान

रसायन विज्ञान

एस0 के0 सेन गुप्ता – विज्ञान संकाय हेड (डीन)
नदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर
0 ओ0 पी0 पाण्डेय–रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष
नदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर

अत्याधुनिक प्रैक्टिकल लैब

जन्तु विज्ञान

भौतिक विज्ञान

शिक्षणेत्तर कार्यक्रम

खेल कूद के साथ ही साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अभिरूचि पैदा की जाती है। एवं उन्हें यथोचित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए महाविद्यालय प्रयत्न करता है। छात्रों के लिए विषय को रोचक बनाने हेतु बाहर के विषय विशेषज्ञों को बुलाकर मासिक व्याख्यान कराया जाता है। छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने हेतु भाषण प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

समारोह

महाविद्यालय में मुख्य रूप से निम्नलिखित समारोह/उत्सव आयोजित किये जाते है। प्रत्येक छात्र/छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त समारोह में समय से अवश्य उपस्थित हो।

1. स्वाधीनता दिवस	–	15 अगस्त
2. गांधी जयन्ती	–	02 अक्टूबर
3. वार्षिकोत्सव	–	14 नवम्बर
4. गणतन्त्र दिवस	–	26 जनवरी
5. बसन्तोत्सव	–	फरवरी माह में

कार्यालय समय

प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय में कार्यालय का समय प्रात: 9.00 बजे से अपराहन 1.30 बजे तक और अपराहन 2.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक होगा।

सहयोग

महाविद्यालय की स्थापना हेतु संसाधनों की अत्यन्त आवश्यकता है। छात्रों एवं गणमान्य सामर्थ्वान नागरिकों को आर्थिक सहयोग की अपेक्षा महाविद्यालय का सर्वागीण विकास सम्भव हो सकें।

चिकित्सा व्यवस्था

महाविद्यालय के कार्यलय में प्रारम्भिक चिकित्सीय सुविधा (फर्स्ट–एड कीट) छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों तथा समस्त विद्यालय परिवार के लिए उपलब्ध है। (जिससे तत्काल लाभ मिल सकें।)

ADMISSION OPEN

महाविद्यालय
की कुछ
झलकिया

विद्यावती देवी महाविद्यालय

विद्या ददाति विनयम्

विद्यावती देवी महाविद्यालय

प्रवेश प्रारम्भ ADMISSION OPEN

आन्द्रे वामसी–जिलाधिकारी कुशीनगर

Office Contact : 9792200919
vidyawati.devi.pg.college@gmail.com
Website : www.vidyawatidevimahavidyalay.com
E-mail : info@vidyawatidevimahavidyalay.com

9792200919
Contact No. : 9792200918
9792200933